



## OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. V. Shanmugam I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring 1.400 Hectare for the construction of Construction of Hindolakhal Ghandiyal (Mayali) Junior Hight School to Danda Motor Road in Tehsil D.E.V.P.R.A.Y.M of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **KIRTINAGAR**..... Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

अधिकारी अभियन्ता  
अ० ख०, ल०० नि० वि०  
श्रीनगर मु० कौर्तिनगर

District Collector Cum chairman

जिला अधिकारी

दिहरी गढवाल  
District Tehri Garhwal  
New Tehri

प्रारूप सं 30  
FORM - I  
(For linear Projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 680/XXVI-12 (2018-19)

Dated ..... 23-7-19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9 98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 1.400 hact. of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department, Kirtiangan for Construction of Hindolakhal Ghandiyal (Mayali) Junior Hight School to Danda Motor Road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of .....  
Danda ..... Villages in Kirtinagar tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for the entire 1.400 Hac. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

अधिकारी अधिकारी  
अ ० ख ०, ल० ० नि० वि०  
श्रीनगर मु० कौर्तिनगर

Signature

g.l.bm  
जिला अधिकारी  
District Collector  
Tehri Garhwal

It is further certified that – Minutes of meeting of Hindolakhal Ghandiyal (Mayall) Junior Hight School to Danda Motor Road (2.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>1.400 Hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

२१  
सदस्य  
जिलाधिकारी भलोगांव-३८  
जिलाधिकारी सदस्य  
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीकरण वनाधिकारी  
प्रभागीकरण वनाधिकारी  
मुनि-डी-बेटी

अधिकारी अधिकारी  
अ० ख०, ल०० न० वि०  
श्रीमगर मु० कीर्तिनगर

Signature

jl.bm  
जिला अधिकारी  
Distt. Collector  
टिहरी गढ़वाल

## प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विद्यानसभाक्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डौलारखाल घटियालधार (मयाली) घूँहा० डॉडा मौटर मार्ग का निमंगि कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीतिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीतिनगर परिषेत्र के अन्तर्गत हिण्डौलारखाल घटियालधार (मयाली) घूँहा० डॉडा मौटर-मार्ग का निमंगि कार्य।

( १.३१२५ हे० आरक्षित

वन भूमि ०.०८७५ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल १.४०० हे० वन भूमि) का आ० रब० लोक-निमंगि विभाग। कीतिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग।) की दिनांक २८-०८-१९ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती नृपूरुषस्त्री, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१- श्री <u>मती नृपूरुषस्त्री</u>	उपजिलाधिकारी	<u>अध्यक्ष</u> <u>जिलाधिकारी</u>
२- श्री <u>डॉ० चौ० बलोनी</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>सदस्य</u> <u>निमंगि</u>
३- श्री <u>मननीषा हिंदी</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<u>सदस्य / सचिव</u>
४- श्री <u>चिशला हिंदी विठ्ठ</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र विश्वाला हिंदी	<u>सदस्य</u>

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हिण्डौलारखाल घटियालधार (मयाली) घूँहा० डॉडा मौटर-मार्ग परियोजना हेतु १.४०० हे० वन भूमि आ० रब० लो० निं० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु०सा की गई है।

कीतिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु०सा की गई है।

- 2 -

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरती, नरन्दूलग्जर द्वारा  
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए  
जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में  
ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड  
स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड की तिन्हीं परिषेत्र के अन्तर्गत हिंडलाल  
दाइडियलद्वारा (मुयाली) घूँडोड़ा झाट मार्ग का नियन्त्रिकारी

परियोजना के निर्माण हेतु 1.400 हेठली वन भूमि अंठ रुवली निवनीकी तिन्हीं  
प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी  
उप जिलाधिकारी/अक्षयक  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— देवपथा  
जनपद— टिहरी गावाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गावाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी  
उप जिलाधिकारी/अक्षयक  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— देवपथा  
जनपद— टिहरी गावाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विद्यानसभा क्षेत्र  
 ठेवण्याग के अन्तर्गत हिउडीलाखाल घटियालखार  
 (मयाली) ज्यू० हाँ० डाँ० मौर मार्ग का निमंति कार्य

दिनांक २८-०८-१८ को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 जनपद (टिहरी गढ़वाल)

१	श्रीमती दुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	<i>(Signature)</i> उपजिलाधिकारी
२	मी डी० वी० छलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	<i>(Signature)</i> उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
३	श्रीमती मनीषा हिवड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	<i>(Signature)</i> सहायक समाज कल्याण अधिकारी
४	विश्वाला हैबरी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	<i>(Signature)</i> क्षेत्र एवं वन प्राप्ति- क्षेत्र एवं वन प्राप्ति- क्षेत्र एवं वन प्राप्ति-

प्रपत्र- 30

परियोजना का नाम :- अनपद टिहरीगढ़वाल के विधास सभा क्षेत्र देवपुराग  
 के अन्तर्गत हिंडौलाखाल घटियालधार (मयाली) खू. हा० डा० इ०  
 मौक मार्ग का निर्माण कार्य।  
 वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
 ग्राम पंचायत का नाम ..... डा० इ०  
 तहसील देवपुराग, जिला टिहरी-गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी-गढ़वाल के अन्तर्गत हिंडौलाखाल घटियालधार (मयाली) खू. हा० डा० इ० मौक मार्ग का निर्माण कार्य।

परियोजना के निर्माण हेतु ( 1.3125 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0875 हे० सिविल सौयम भूमि, ..... हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.400 हे० वन भूमि का ..... क्षेत्र का निर्माण विभाग की तिनाँर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम 2018 के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.400 हे० निर्माण की तिनाँर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

*Mangal*  
 ग्राम संवर्ग विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत सचिव 2018  
 विकास खण्ड 2018  
 जनपद 2018



नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(70)

प्रपत्र- 30.10

दिनांक ..... 05-06-2018 ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 ग्राम पंचायत ..... दारोड़ा .....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
2)	मिका नरेंद्र	मिका नरेंद्र
3)	मनवर सिंह	मनवर सिंह
4)	दीपाल सिंह	दीपाल सिंह
5	सत्यल मुख्य	सत्यल मुख्य
6	नवल मुख्य	नवल मुख्य
7	सुल्तान मुख्य	सुल्तान मुख्य
8	कुलदीप मुख्य	कुलदीप मुख्य
9	अजनकुमार सिंह	अजनकुमार सिंह
10	आनंदा देव	आनंदा देव
11	राजा जवाहर सिंह	राजा जवाहर सिंह
12	रघवीर सिंह	रघवीर सिंह
13	सुहन सिंह	सुहन सिंह
14	बैर-दीप सिंह	बैर-दीप सिंह
15	गोविंद सिंह	गोविंद सिंह
16	बुद्धपाल सिंह	बुद्धपाल सिंह
17	पिंडीप सिंह	पिंडीप सिंह
18	पलवर दीप	पलवर दीप
19	पुराम सिंह	पुराम सिंह
20	माला सिंह	माला सिंह
21	जिमाहोहन सिंह	जिमाहोहन सिंह
22	विजय कोइराला	विजय कोइराला
23	हुलवर दीप	हुलवर दीप
24	मोहन सिंह	मोहन सिंह
25	शशेजीन दीप	शशेजीन दीप
26	आनंदा देव	आनंदा देव

